ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 143-146

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

थारू जनजाति की महिलाओं के स्थिति

1. पूनम वर्मा
2. डॉ0 कुमुद सिंह

1. शोध अध्येत्री, 2. एसोसिएट प्रोफेसर– समाजशास्त्र विभाग, श्री अग्रसेन कन्या पी जी कॉलेज वाराणसी, संबद्ध महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी (उ0प्र0), भारत

Received- 14.11. 2021, Revised- 20.11. 2021, Accepted - 25.11.2021 E-mail: poonam.verma718@gmail.com

सारांशः ***भारत में महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नही रही है। इसमें युगानुसार कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहे हैं। उनकी स्थिति में वैदिक युग से लेकर आधुनिक काल तक प्रत्येक स्तर पर अनेक उतार – चढ़ाव आते रहे हैं तथा उनके अधिकारों में तदनरूप बदलाव भी होते रहे हैं। सैद्वांतिक रूप से भले ही महिला को समाज में ऊंचा स्थान दिया गया है, पर व्यावहारिक दृश्टि से देखा जाए तो यह मात्र एक औपचारिकता से ज्यादा कुछ न था। इसी कम में एक थारू जनजाति भी हैं। कहने को तो अन्य जनजाति समाज की तरह थारू जनजाति में भी महिला प्रधान हैं, थारू समाज में महिलाओं का ही वर्चस्व रहा है लेकिन हकीकत में यहाँ भी सत्ता पुरुषों के हाथों में ही होती है। खेती का काम हो या खाना बनाने के लिए जलावन की लकड़ियां ढोकर महिलाओं को ही जंगल से लाना होता है, ज्यादातर महिलाओं को ही कठिन परिश्रम करनी पड़ती है। यहां तक कि मछली के शिकार के लिए जाल बुनने का काम भी महिलाओं को करना पड़ता है। यदि किसी चुनाव में महिला प्रतिनिधि चुनाव जीतती है तो सारा कार्य पुरुष करता है ऐसा नहीं कि वह महिला प्रतिनिधि उस कार्य को नहीं कर सकती लेकिन पुरुष प्रधान समाज उसे करने नहीं देता। मेरे द्वारा कुछ किताबों, शोधपत्रों इत्यादि को पढ़ने से भी यहीं जानकारी मिली है।***

कुंजीभूत शब्द– थारू जनजाति, लौका, भूमाकियां, उज्जवला योजना, जनजाति समाज, पुरुष प्रधान समाज ।

थारू जनजाति भारत और नेपाल की जनजातियों में से एक हैं। थारू, नेपाल और भारत के सीमावर्ती तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली एक जनजाति है। थारू जनजाति भारत में उत्तराखंड के नैनीताल से लेकर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर, खीरी, पीलीभीत, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज जिलों में तथा बिहार के पूर्वी चंपारण, मोतिहारी तथा दरभंगा जिलों में निवास करते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि थारू मुस्लिम आक्रमणकारियों से जान बचाकर भागीं राजपूत महिलाओं और उनके सेवकों के वंशज हैं, जो उस दौरान पहाड़ी एवं दलदली वन क्षेत्रों के दुर्गम इलाकों में आ कर बस गए थे। ऐसा उल्लेख मिलता है कि इनके समाज में महिलाएं खुद को श्रेष्ठ मानती हैं और कुछ इतिहासकार यहां तक कहते हैं कि महिलाएं अपने पति के साथ भोजन तक नहीं करती थीं। हॉलांकि अब काफी बदलाव आ चुका है। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये राजस्थान के थार इलाके से आए हैं और महाराणा प्रताप के वंशज हैं। थारू अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं। समाज में पिछड़े वर्ग में आने की वजह से 1961 में इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड व नेपाल से सटे तराई के जंगलों के बीच इंसानों की वह दुनिया भी निवास करती है, जिसे यह 'सभ्य' समाज थारू जनजाति के नाम से जानता है। 'सबका साथ, सबका विकास' जैसे नारों के बीच थारू जनजातियों का यह समाज आज भी हाशिये पर है और इसी समाज की आधी आबादी यानी महिलाएं तो हाशिये से भी गायब हैं। कहने को तो अन्य जनजाति समाज की तरह थारू जनजाति समाज भी महिला प्रधान है, लेकिन हकीकत में यहाँ भी सत्ता पुरुषों के हाथों में रहती है। खेती का काम हो या जंगल से जलावन की लकड़ी ढोकर लाना हो, ज्यादातर महिलाओं को ही जीतोड़ मेहनत करनी पड़ती है। यहां तक कि मछली के शिकार के लिए जाल बुनने का काम भी महिलाओं को करना पड़ता है। फिर पुरूश क्या करते है? नेपाल सीमा से सटे भारत के कुछ गाँव की महिलाएं कहती हैं, 'उन्हें शराब (कच्ची) बनाने और पीने से फुर्सत मिले तब न यें पुरूश कोई काम करें। कुछ महिलाओं को सबसे ज्यादा शिकायत वन विभाग के लोगों से है, वह कहती हैं, 'जंगल से हम जिंदा हैं, लेकिन जलावन के लिए सूखी लकड़ियां लाने पर भी विभाग वाले परेशान करते हैं। कभी हमारी कुल्हाड़ियाँ छीन लेते हैं, तो कभी हमसे बदसलूकी करते हैं। कुछ बुजुर्ग महिलाएं कुछ साल पुराना वाकया बताती हैं, 'तराई क्षेत्र के जंगल में जलावन की लकड़ी लेने गई, महिलाओं पर पुलिस और वन विभाग के लोगों ने हमला कर दिया था, जिसमें गांव की कुछ औरतें बुरी तरह से घायल हो गई थी। दोषियों पर कार्रवाई के बजाय पुलिस ने उलटा जख्मी महिलाओं और उनके पति को लूट व जंगल काटने की धाराएं लगाकर जेल भेज दिया। एक तरफ थारू समाज के लोग वक्त के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं कई ऐसे मामले हैं, जहां ये चाहकर भी अपने पुराने तौर–तरीके आजमाने पर मजबूर हैं। इनके लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी उन योजनाओं में शुमार है, जो इन तक पहुंचनी तो दूर, जिनका नाम तक इन्होंने नहीं सुना। थारू समाज के लोग आज भी मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाते हैं। ईंधन के रूप में ये लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जो थारू महिलाएं जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती हैं। फिर उनके गट्ठर बनाकर अपने सिर पर लादकर घर लाती हैं। एक

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

गड्डर का वजन 50 से 60 किलो होता है।

थारू जीवन को करीब से जानने और इस जनजाति समुदाय खासतौर से महिलाओं की दुश्वारियों को समझने के लिए मैं स्वयं इनके बीच कुछ दिन रहकर भारत व नेपाल सीमा से सटे महराजगंज जनपद के दर्जनभर से ज्यादा गाँवों का भ्रमण किया, जिनमें विषुनपुरा, बेलहियां, मनिकापुर, पिपरवास, सेमरा, देवघटठी, नारायणपुर, रामनगर, जमुहराकला, तरैनी, सेखुआनी, बभनी आदि शामिल हैं। कुछ मायनों में यहाँ बदलाव की बयार का असर होता दिखाई पड़ा। लगभग सभी गांवों में प्राथमिक विद्यालय देखने को मिले। कुछ उच्च प्राथमिक विद्यालय भी दिखे। इनमें से कई गांव बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सड़क से भी जुड़ चुके हैं, लेकिन स्थानीय जनजाति मुख्यधारा से जुड़ सकें, उन्हें उनका अधिकार मिल सके, इस दिशा में कारगर पहल होती नहीं दिखाई पड़ा।

थारू जनजाति की सबसे प्रमुख समस्या बाढ़ है। इस इलाके की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं– डण्डा, रोहिनी, बघेला, झरही, चन्दन, और प्यास नदी। बरसात में जब नेपाल से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जाता है, तो पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है। फसलें चौपट हो जाती हैं। इनकी मुश्किलें तब और बढ़ जाती हैं, जब शासन–प्रशासन से कोई मदद या रियायत समय से नहीं मिलती। यहां के लोग कहते हैं, कि जब बाढ़ आती है, तब धान और सब्जियों की फसलें चौपट हो जाती हैं ये लगभग हर बरसात की बात है।' सरकारें शायद इसे नियति मान चुकी हैं, तभी तो इस दिशा में कुछ ठोस कार्य नहीं किया जाता। थारू जनजाति के ज्यादातर परिवार खेती पर निर्भर हैं। 60–70 के दशक तक इनके पास काफी जमीनें थीं, लेकिन अब ज्यादातर दूसरे के खेतों में काम करते हैं। इस समाज के ज्यादातर परिवारों ने कभी अपनी जरूरत तो कभी भूमाफियाओं के जाल में फंसकर अपनी जमीनें बेच दीं। कुछ लोग अभी भी अपनी जमीनों पर खेती करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अब दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हैं। यही इनकी आजीविका का मुख्य जरिया है। पारंपरिक रूप से ये धान की खेती करते हैं, लेकिन खेती में लागत के हिसाब से फायदा नहीं हो पाता। लिहाजा, इन्होंने सब्जियों की खेती भी शुरू कर दी है। इसके अलावा ये पशुपालन, शिकार और मछली पकड़ने जैसे काम भी करते हैं। एक तरफ थारू जनजाति के लोगों में समाज की मुख्यधारा में शामिल होने की ललक बढ़ी है, वही दूसरी तरफ इस समाज में सैकड़ों साल से चली आ रही तमाम चीजें आज भी परंपरा के तौर पर जीवित हैं। थारू जनजाति की महिलाएं एक खास किस्म की घास से डलिया और चटाई जैसी कई चीजें तैयार करती हैं। डलिया का इस्तेमाल ये रोटियां या खाने–पीने की बाकी चीजें रखने में करते हैं। इनकी बनाई गई चीजें काफी खूबसूरत होती हैं, लेकिन यह इनके धंधे में शामिल नहीं हो पाया है। हाथ से बुनी गई ऐसी तमाम चीजों को इस्तेमाल ये अपनी दिनचर्या में करते हैं। इनके पास एक और अनोखी चीज लौका होती है। लौका का इस्तेमाल ये मछली पकड़ने में करते हैं। पकी हुई लौकी को अंदर से खोखला करके उसे सुखाया जाता है। थारू जनजाति की औरतें मछली पकड़ते वक्त लौका को अपनी कमर से बांधती हैं और मछली पकड़ कर उसमें रखती जाती हैं।

थारू जनजाति का समाज कहने के लिए महिला प्रधान है, किन्तु हकीकत में पितृ प्रधानता के कारण सत्ता पुरुषों के हाथों में रहती है, और वह अपनी हुकूमत चलाते हैं। इसके कारण थारू महिलाएँ हाड़तोड़ मेहनती .षि कार्यो को करने के साथ ही पारिवारिक जीवन–निर्वहन के लिए घरेलू कार्य भी करती हैं। इसका मुख्य कारण है अशिक्षा और जागरूकता का अभाव है। महिला उत्थान के लिए चलाई जाने वाली सरकारी योजनाएँ कागजों में सिमटती रही हैं। इसके कारण उनको समुचित लाभ न मिलने से थारू समाज की महिलाओं की स्थिति दयनीय ही बनी हुई है, और प्रथम पायदान पर होने के बाद भी वह दोयम दर्जे का नरकीय जीवन गुजारने के लिए मजबूर हैं।

भारत से सटे मित्र देश नेपाल की सीमा तराई क्षेत्र से सटा होने के कारण नेपाल के सीमावर्ती इलाको में भी थारू जनजाति निवास करते है। इससे इनके बीच में बना बेटी और रोटी का सामाजिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संबंध अनादि काल से चला आ रहा है। भारत–नेपाल सीमा पर रहने वाले यह थारू जनजाति अपने को राजस्थान के मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप सिंह का वंशज बताते हैं। थारू महिलाओं के कपड़ें, उनकी वेषभूषा एवं जेवरात की बनावट और पहनावा से राजस्थानी संस्ति की झलक उनमें मिलती –जुलती है। थारू जनजाति में प्रचलित कहानी के अनुसार वर्षों पूर्व महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह औरंगजेब से कई महीनों तक घमासान युद्ध हुआ था। इस लड़ाई के दौरान महाराणा प्रताप को जब अपनी पराजय का एहसास होने लगा था, तब उन्होंने मुगल सैनिकों के जुल्मों से बचाने के लिए रानियों समेत राजघराने की महिलाओं और बच्चों को सेवकों के साथ किले से सुरक्षित रवाना कर दिया था। महाराणा प्रताप सिंह की मौत के बाद असहाय रानियाँ और सेवक भटकते हुए नेपाल और भारत के इस तराई क्षेत्र में आ गए और घने जंगलों में आशियाना बनाकर रहने लगे। कालान्तर में इनके बीच हुए सम्बन्धों से जनसंख्या और आबादी का विस्तार होता चला गया। इन महिलाओं का वंशज राजघराना होने से शायद यही कारण है कि थारू समाज में महिला को रानियों वाला उच्च स्थान प्राप्त था। एक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

प्रचलित प्रथा के अनुसार पुरुषों को रसोई की सीमा में आना या भीतर घुसना वर्जित था, वह भोजन करने के लिए थाली लेकर रसोईघर के बाहर बैठ जाते थे। स्त्रियाँ रोटी बनाती थी और अंदर से रोटी फेंककर उन्हें देती थी। इस तरह का भोजन करने से थारू पुरुष किसी प्रकार का अपमान नहीं मानते हैं।

थारू समाज की महिलाएँ पुरुषों की अपेक्षा अत्यधिक मेहनती और कर्मठ होती हैं। पारिवारिक जीवन में बच्चों का पालन –पोषण करना, खाना पकाने के साथ–साथ जंगल से लकड़ी लाना, पालतू पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था करना एवं खेतों में मेहनत से काम करना इनके जिम्मे होता है और यह सभी काम पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाती भी हैं। इस बीच मौका लगने पर तालाब से मछली का शिकार करना थारू महिलाओं का प्रिय शौक है जिसे पूरा करने के लिए यह दिन में समय निकाल ही लेती है। थारू समाज के पुरुषों में शराब पीने की आदत इनको आलसी और कामचोर बनाती है, ये अपना अधिकांश समय इधर–उधर घूमने या शराब पीने अथवा मटरगश्ती करने में व्यतीत करते हैं। बदल रहे समय के साथ थारू समाज में भी बदलाव आया है, इसके बाद भी जनजाति थारू क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है, इसीलिए थारूओं में तमाम कुरीतियाँ भी मौजूद हैं। इनमें मुख्य है दहेज प्रथा, पहले कभी यह कुरीति नाममात्र को ही दिखाई देती थी, परन्तु आधुनिकता की बयार ने दहेज को स्टेटस सिंबल बना दिया है, थारू परिवार अब बढ़ चढ़कर दहेज लेने देने लगे हैं।

जनजाति क्षेत्र में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण परम्परागत ढंग से पुरखों से मिली झाड़–फूँक की तंत्रविद्या से बीमारियों का इलाज करते हैं। इसके लिए बाकायदा गाँव में लोगों का झाड़–फूँक से इलाज करने वाला एक भर्रा भी रहता है, जो अपनी सिद्धि और मंत्रों से सामान्य के साथ गंभीर लाइलाज बीमारियों का इलाज टोना –टोटका से करता है। इस तरह के अंधविष्वास में महिलाएं बुरी तरीके से फंसती चली जाती हैं और समाज में फैले इस अंधविश्वास के कारण अक्सर गंभीर बीमारियों से ग्रस्त महिलाओं और बच्चों की असमय मौत तक हो जाती है।

जनजाति की महिलाओं को समाज में उच्च स्थान हासिल होने के बाद भी सत्ता पुरुष के हाथों में रहती है और वह अपने परिवार पर अपनी हुकूमत चलाते हैं। आजाद भारत में थारू समाज की न्याय व्यवस्था में सामाजिक फैसले गाँव की पंचायत में होते हैं। थारूओं में प्रेम विवाह का प्रचलन है। थारू युवती को मनचाहे युवक से विवाह करने की आजादी हासिल है। लेकिन गैर थारू युवक के साथ थारू युवती को प्रेम करना वर्जित माना जाता है। इसके अतिरिक्त शादीशुदा महिला अगर किसी अन्य युवक से प्रेम करती है और इसकी जानकारी परिजनों को हो जाती है तो पंचायत में महिला के प्रेमी पर सामाजिक तौर पर आर्थिक दण्ड लगाकर उससे जुर्माना लिया जाता है। इस व्यवस्था में तलाक की गुंजाइश बहुत कम होती है, इसके बाद भी अगर महिला का पति जिद करके तलाक यानी छुड़ौती करना ही चाहता है, तो पंचायत उस महिला का उसके प्रेमी के साथ विवाह करा देती है। इसके एवज में विवाह करने वाला व्यक्ति इससे पहले महिला की शादी में हुआ पूरा खर्च महिला के पूर्व पति को देना होता है।

उन्नति और विकास की फैली किरणों के कारण अब जनजाति थारू क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ी है। सामाजिक फैसलों के अलावा पंचायत में होने वाले जमीनी विवाद आदि मामलों के फैसले अब पुलिस और कोर्ट में होने लगे हैं। महिला सशक्तीकरण के दावे थारू समाज की महिलाओं के लिए बेमानी हैं। और अशिक्षित महिलाओं की संख्या कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है।

महिलाएँ पूरी तरह से अपने हक और अधिकारों से परिचित नहीं हैं, इसके कारण घर की चहारदीवारी के अंदर वह अपना परम्परागत घरेलू जीवन गुजारती हैं। इससे महिलाओं की स्थिति दयनीय बनी हुई है। यद्यपि आरक्षण के चलते थारू महिलाएँ ग्राम प्रधान के साथ क्षेत्र और जिला पंचायत की सदस्य भी बन रही हैं, लेकिन प्रधानी की बागडोर महिलाओं के पति के हाथ में रहती है अथवा उनके करीबी नाते रिश्तेदार गाँव की प्रधानी चलाते हैं। इस तरह कठपुतली बनी थारू महिला प्रधान अपना सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन का बखूबी निर्वहन करती हैं।

हालाँकि थारू समाज की तमाम युवतियाँ पढ़–लिखकर शिक्षामित्र और टीचर भी बन गई हैं यहाँ तक अब वह सरकारी नौकरियाँ कर रही हैं। इसके बाद भी वह अथवा उनके परिवार की युवतियाँ प्राचीन परम्पराओं की वर्जनाओं को तोडने में अक्षम हैं। इन सबके बीच में तमाम गरीब थारू परिवार ऐसे भी हैं जो चाहते हुए भी अपनी लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने में असहाय हैं। इन गरीब परिवारों की लड़कियाँ और महिलाएँ आज भी खेतों में मेहनत मशक्कत वाला कमरतोड़ काम करने के लिए विवश हैं और घर की चाहरदीवारी के पीछे सामाजिक परम्पराओं की डोर में बँधकर रहने के लिए मजबूर हैं। इनके लिए सरकार द्वारा उच्च शिक्षा की व्यवस्था उनके घर के आस–पास ही करा दी जाए और उनकी जागरूकता के गम्भीर सार्थक प्रयास किए जाएँ तो शायद तमाम गरीब थारू परिवार की युवतियाँ प्रगति की मुख्य धारा में शामिल होकर अपना भविष्य सँवार सकती हैं।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिंह, अनु कुमारी. "जनजातियों पर ग्रामीण विकास का प्रभाव" . नई दिल्ली : क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, (2009).
2. अटल, योगेश. "आदिवासी भारत". जयपुर : रावत पब्लिशर, (2011).
3. सिंह, ब्रजेश कुमार. "सामाजिक मानवशास्त्र". वाराणसी : सपना अशोक प्रकाशन, (2016).
4. मुखर्जी, रवीन्द्रनाथ, "सामाजिक मानवशास्त्र की रूपरेखा". दिल्ली : विवेक प्रकाशन, (2018).
5. प्रसाद, शारदा. "थारू जनजाति जीवन और संस्कृति". मुज्जफरपुर : अभिधा प्रकाशन, (2018).
6. सिंह, विरेन्द्र एवं संजीव कुमार. "थारू जनजाति अर्थव्यवस्था एवं समाज". लखनऊ : ए.एस.आर. पब्लिकेशन्स, (2017).
7. श्रीवास्तव, ऐस.के. "दी थारू, ए स्टडी इन कल्चर डाइनेमिक". आगरा विश्वविद्यालय, (1958).
8. विष्ट, बी.एस. "थारू जनजाति में सामाजिक स्वरूप तथा उनका आर्थिक जीवन पर प्रभाव". उत्तरांचल ग्रामीण समुदाय : श्री अल्मोड़ा बुक डिपो, (1997).
9. जोशी, योगेश चन्द्र. "थारू जनजाति एक अध्ययन प्रकाशक संस्कृति विभाग", उत्तराखण्ख, (2011).
10. हसनैन, नदीम. ''जनजातीय भारत''. वाराणसी : जवाहर पब्लिशर एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर, (2004).
11. मजूमदार, डी.एन. "रेसेस एण्ड कल्चर". बॉम्बे, कलकत्ता, लंदन : एषिया पब्लिशिंग हाउस, (1961).
12. http://www.dristiias.com
13. http://hindi.oneindia.com

*****